अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी
Urban Road Infrastructure Development Agency (URIDA)
नगर विकास विभाग (उ.प्र. सरकार)
Urban Development Department (Govt. of UP)
Email: urida.goup@gmail.com

पत्रांकः 167 / सर्कुलर–यूरिडा / 2024

दिनांक 30.5.2024

परिपत्र–1

विषय– **सीएम–ग्रिड्स योजनान्तर्गत कैरिज–वे की चौड़ाई का निर्धारण।**

यह देखने में आया है कि मोटर वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत मार्गों के सुधार एवं उन्नयन हेतु कैरिज–वे के चौड़ीकरण को प्रमुखता प्रदान किये जाने की प्रवृत्ति है। सीएम–ग्रिड्स योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तो में मार्गो के राइट ऑफ वे (ROW) के अन्तर्गत विभिन्न उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से पैदल चलने वालों के लिये उचित जगह उपलब्ध कराने को प्रमुखता दी गयी है तथा मार्ग के किसी भी प्रकार का चौड़ीकरण पैदल यात्रियों / नॉन मोटराइज्ड यातायात की सुविधा एवं पेंड़ो की कटाई की कीमत पर नहीं होना चाहिये।

उपरोक्त के दृष्टिगत सीएम–ग्रिड्स योजनान्तर्गत चयनित मार्गों पर उपलब्ध राइट ऑफ वे (ROW) के आधार पर कैरिज–वे (वाहन पथ) की चौड़ाई निर्धारित करने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं–

क्रमांक	राइट ऑफ वे	कैरिज–वे	अभ्युक्ति
1.	10–12 मीटर	5.5 मीटर	मार्ग की डिजाइन इस तरह से की जाय जिसमें कैरिज–वे तथा पेव्ड शोल्डर समान तल पर हों तथा पेव्ड सोल्डर की सतह कैरिज–वे से भिन्न प्रकार की हो जिसका उपयोग वाहनों की समानान्तर पार्किंग तथा पदयात्रियों के लिये संयुक्त रूप से किया जा सके।
2.	12–15 मीटर	5.5 / 7.0 मीटर	जहां पार्किंग की आवश्यकता हो वहां कैरिज–वे की चौड़ाई 5.5 मीटर रखी जाय। दो–दो मीटर की समतल पार्किंग तथा न्यूनतम 1.5 मीटर चौड़ाई का + 150 मिमी. तल पर फुटपाथ निर्मित किया जा सकता है। पार्किंग की आवश्यकता न होने पर कैरिज–वे की चौड़ाई 7.0 मी. रखी जा सकती है तथा फुटपाथ + 150 मिमी. तल पर रखा जाय। चौडे स्थानों पर पार्किंग स्थल निकाले जा सकते है।
3.	15–20 मीटर	7.5 / 10 मीटर	2 लेन अथवा 2 लेन विथ पेव्ड सोल्डर के साथ आवश्यकतानुसार पार्किंग स्पेस एवं रेज्ड फुटपाथ।
4.	20–30 मीटर	10 / 15 मीटर	कैरिज–वे की चौड़ाई 15 मीटर होने पर अन–डिवाइडेड तथा डिवाइडेड (2x7.5+median) जगह की उपलब्धता के आधार पर दोनो प्रकार से हो सकती है। आवश्यकतानुसार शेष भाग में पार्किंग / वेन्डिंग जोन / फुटपाथ दिये जा सकते हैं।
5.	30–45 मीटर	15 / 18 / 20 मीटर	कैरिज–वे अनिवार्य रूप से डिवाइडेड (median के साथ) रखा जाय। जगह की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक दिशा के कैरिज–वे की चौड़ाई 7.5 मीटर / 9.0 मीटर / 10 मीटर रखी जा सकती है। मीडियन की चौड़ाई सामान्यतया 1.0

			से 1.5 मीटर रखी जाय। यदि भविष्य में ट्रंक सीवर लाइन डाली जानी हो तो उसके लिये अधिक चौड़ाई का मीडियन दिया जा सकता है। इस आरओडब्लू में हरित पट्टी अवश्य दी जानी चाहिये। आवश्यकता के आधार पर सर्विस लेन का भी प्राविधान किया जा सकता है।

उपरोक्त दिशा–निर्देश सामान्य परिस्थितियों हेतु जारी किये जा रहे हैं। पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों की संख्या कम/अधिक होने, पार्किंग की आवश्यकता तथा पटरी दुकानों हेतु आवश्यकतानुसार कैरिज–वे की चौड़ाई, फुटपाथ, पार्किंग स्पेस, ग्रीन स्पेस एवं वेन्डिंग जोन की चौड़ाई को अधिक/कम किया जा सकता है। जगह की अधिक उपलब्धता की स्थिति में खाली जगह को इस प्रकार छोड़ा जाय कि वह भविष्य में किसी यूटिलिटी के काम आ सके तथा मार्ग विस्तार की स्थिति में तोड़–फोड़ न्यूनतम करना पड़े। खाली स्थान पर हरियाली/वृक्ष (Arboriculture) आदि का प्राविधान किया जाय।

/

अरविन्द कुमार (जैन)
डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास, अनुभाग–7, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. सी.ई.ओ. यूरिडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

30/5/2024
डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा

अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी
Urban Road Infrastructure Development Agency (URIDA)
नगर विकास विभाग (उ.प्र. सरकार)
Urban Development Department (Govt. of UP)
Email: urida.goup@gmail.com

पत्रांकः 167/सर्कुलर–यूरिडा/2024 दिनांक 30 .5.2024

परिपत्र–1

विषय– **सीएम–ग्रिड्स योजनान्तर्गत कैरिज–वे की चौड़ाई का निर्धारण।**

यह देखने में आया है कि मोटर वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत मार्गों के सुधार एवं उन्नयन हेतु कैरिज–वे के चौड़ीकरण को प्रमुखता प्रदान किये जाने की प्रवृत्ति है। सीएम–ग्रिड्स योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तो में मार्गो के राइट ऑफ वे (ROW) के अन्तर्गत विभिन्न उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से पैदल चलने वालों के लिये उचित जगह उपलब्ध कराने को प्रमुखता दी गयी है तथा मार्ग के किसी भी प्रकार का चौड़ीकरण पैदल यात्रियों/नॉन मोटराइज्ड यातायात की सुविधा एवं पेंड़ो की कटाई की कीमत पर नहीं होना चाहिये।

उपरोक्त के दृष्टिगत सीएम–ग्रिड्स योजनान्तर्गत चयनित मार्गों पर उपलब्ध राइट ऑफ वे (ROW) के आधार पर कैरिज–वे (वाहन पथ) की चौड़ाई निर्धारित करने हेतु निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं–

क्रमांक	राइट ऑफ वे	कैरिज–वे	अभ्युक्ति
1.	10–12 मीटर	5.5 मीटर	मार्ग की डिजाइन इस तरह से की जाय जिसमें कैरिज–वे तथा पेव्ड शोल्डर समान तल पर हों तथा पेव्ड सोल्डर की सतह कैरिज–वे से भिन्न प्रकार की हो जिसका उपयोग वाहनों की समानान्तर पार्किंग तथा पदयात्रियों के लिये संयुक्त रूप से किया जा सके।
2.	12–15 मीटर	5.5/7.0 मीटर	जहां पार्किंग की आवश्यकता हो वहां कैरिज–वे की चौड़ाई 5.5 मीटर रखी जाय। दो–दो मीटर की समतल पार्किंग तथा न्यूनतम 1.5 मीटर चौड़ाई का + 150 मिमी. तल पर फुटपाथ निर्मित किया जा सकता है। पार्किंग की आवश्यकता न होने पर कैरिज–वे की चौड़ाई 7.0 मी. रखी जा सकती है तथा फुटपाथ + 150 मिमी. तल पर रखा जाय। चौडे स्थानों पर पार्किंग स्थल निकाले जा सकते है।
3.	15–20 मीटर	7.5/10 मीटर	2 लेन अथवा 2 लेन विथ पेव्ड सोल्डर के साथ आवश्यकतानुसार पार्किंग स्पेस एवं रेज्ड फुटपाथ।
4.	20–30 मीटर	10/15 मीटर	कैरिज–वे की चौड़ाई 15 मीटर होने पर अन–डिवाइडेड तथा डिवाइडेड (2x7.5+median) जगह की उपलब्धता के आधार पर दोनो प्रकार से हो सकती है। आवश्यकतानुसार शेष भाग में पार्किंग/वेन्डिंग जोन/फुटपाथ दिये जा सकते हैं।
5.	30–45 मीटर	15/18/20 मीटर	कैरिज–वे अनिवार्य रूप से डिवाइडेड (median के साथ) रखा जाय। जगह की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक दिशा के कैरिज–वे की चौड़ाई 7.5 मीटर/9.0 मीटर/10 मीटर रखी जा सकती है। मीडियन की चौड़ाई सामान्यतया 1.0

तृतीय तल, नगर निकाय निदेशालय, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226002
3rd Floor, Directorate of Urban Local Bodies, Sector-7, Gomti Nagar Extension, Lucknow, Uttar Pradesh -226002

			से 1.5 मीटर रखी जाय। यदि भविष्य में ट्रंक सीवर लाइन डाली जानी हो तो उसके लिये अधिक चौड़ाई का मीडियन दिया जा सकता है। इस आरओडब्लू में हरित पट्टी अवश्य दी जानी चाहिये। आवश्यकता के आधार पर सर्विस लेन का भी प्राविधान किया जा सकता है।

उपरोक्त दिशा–निर्देश सामान्य परिस्थितियों हेतु जारी किये जा रहे हैं। पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों की संख्या कम/अधिक होने, पार्किंग की आवश्यकता तथा पटरी दुकानों हेतु आवश्यकतानुसार कैरिज–वे की चौड़ाई, फुटपाथ, पार्किंग स्पेस, ग्रीन स्पेस एवं वेन्डिंग जोन की चौड़ाई को अधिक/कम किया जा सकता है। जगह की अधिक उपलब्धता की स्थिति में खाली जगह को इस प्रकार छोड़ा जाय कि वह भविष्य में किसी यूटिलिटी के काम आ सके तथा मार्ग विस्तार की स्थिति में तोड़–फोड़ न्यूनतम करना पड़े। खाली स्थान पर हरियाली/वृक्ष (Arboriculture) आदि का प्राविधान किया जाय।

30/5/2024

अरविन्द कुमार (जैन)
डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास, अनुभाग–7, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
3. सी.ई.ओ. यूरिडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

डिप्टी सी.ई.ओ. यूरिडा